

Conduct of election Rules.1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the
People Act., 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **200- Manoharthana**
Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People act., 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961 ,
I declare that --

Shri **GOVIND PRASAD** (Name)

VILLAGE RANIPURA POST LAHAS TEHSIL AKLERA DIST.
JHALAWAR (RAJ.) (Address)

Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY**

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill
the seat in that house from the above constituency

Place : Jhalawar
Date : 11/12/2018


(**Dinesh Chand Dhaker**)
Returning Officer

(Sub Divisional Officer & Sub
Divisional Magistrate, Manoharthana)
200- Manoharthana Assembly Constituency

(दिनेश चन्द धाकड़)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मनोहरथाना (200)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मनोहरथाना)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

200— मनोहरथाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये सदस्य का निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गोविन्द प्रसाद


ग्राम रानीपुरा पोस्ट ल्हास तह. अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थान : झालावाड़

दिनांक : 11/12/2018


(दिनेश चन्द धाकड़ा)
रिटर्निंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना)
200—मनोहरथाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(दिनेश चन्द धाकड़ा)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मनोहरथाना (200)

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मनोहरथाना)